उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016

- भाग – 06
- अध्याय –25
- धारायें – 194
- भाग (1) अध्याय (1) प्रारम्भिक [धारा 1 एवं 2]
- भाग (2) ग्राम सभा/ग्राम पंचायत –अध्याय 2 से 8 [धारा 3 से 49]
- भाग (3) क्षेत्र पंचायत अध्याय 9 से 15 [धारा 15 सें 85]
- भाग (4) जिला पंचायत अध्याय 16 से 22 [धारा 86 से 125]
- भाग (5) अध्याय 23 नियम विनियम एवं उपविधियाँ [धारा 126 से 128]
- भाग (6) अध्याय 24 एवं 25 प्रकीर्ण उपबन्ध [धारा 129 से 194]

- महत्वपूर्ण परिभाषाऐं
- परिसीमन
- आरक्षण
- निर्वाचन एवं पदाधिकारी
- अनर्हता
- पंचायत के समस्त पदाधिकारी, अधिकारी/ कर्मचारी लोक सेवक के रूप में
- शपथ
- बैठकें
- पंचायतों के सामान्य कृत्य
- अन्य समितियाँ
- निधियाँ, बजट, कर एवं सम्परीक्षा
- अभिलेख
- त्यागपत्र
- आन्तरिक एवं बाह्य नियंत्रण

परिभाषाऐं (Definitions)

- **ग्राम्य क्षेत्र –** जिले में सभी स्तर के नगर निकाय क्षेत्रों तथा छावनी क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्व संबंधी अभिलेखों में ग्राम के रूप में अभिलिखित अथवा सामान्य /विशेष आदेश द्वारा घोषित क्षेत्र।
- **क्षेत्र पंचायत**
- **पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र**
- **सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**
- **जन सेवक –** भारतीय दण्ड संहिता (IPC) 1860 की धारा 21 के अुनसार

परिसीमन (Delimitation)

- प्रत्येक खण्ड हेतु क्षेत्र पंचायत
- पर्वतीय क्षेत्रों में 25 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य
- मैदानी क्षेत्रों में 50 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य
- इससे अधिक की जनसंख्या पर उत्तरोत्तर आनुपातिक वृद्धि के क्रम में अधिकतम 40 सदस्य

- **Map photo.pdf**

आरक्षण (Reservation)

- **क्षेत्र पंचायत धारा – 56**
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति–जनसंख्या के अनुपात में
- अन्य पिछडा वर्ग – 14 % से अनधिक
- महिला – आधे से अन्यून
- चक्रानुक्रम में

संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि तक

निर्वाचन एवं पदाधिकारी (Election & Office-Bearers)

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा – वर्तमान में मतपत्रों के माध्यम से परन्तु अधिनियम में EVM हेतु भी प्रावधान

निर्वाचक नामावली–

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) –जिलाधिकारी

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) – अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) – उप जिलाधिकारी

अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) – तहसीलदार

मतपत्र–

ग्राम पंचायत – सदस्य (सफेद) प्रधान (हरा)

क्षेत्र पंचायत– सदस्य (नीला)

जिला पंचायत – सदस्य (गुलाबी)

निर्वाचन वाद (Election Petition)

क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत – निर्वाचन वाद जिला न्यायाधीश

अनर्हता क्षेत्र पंचायत धारा – 53

1. निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु अनर्ह ठहराया गया हो।
2. न्यूनतम आयु –21 वर्ष।
3. लाभ के पद पर नहीं।
   (आंगनवाडी कार्यकर्त्री, सहायिका, सहकारी समिति या सचिव एवं वेतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित)
4. राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से पदच्युत।
5. पंचायत का बजट, फीस, शुल्क अवशेष।
6. नगर निकाय का सदस्य।
7. दिवालिया।
8. इस अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत हटाया गया हो।
9. पंचायत में महिला सदस्य के स्थान पर कार्य करने का दोषी पाया गया हो।
10. भ्रष्टाचार।
11. शौचालय न होने पर।
12. निर्धारित शैक्षिक योग्यता न होने पर।
13. संतानों के संबंध में निर्धारित नियम
14. शैक्षिक योग्यता

अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय –

ग्रा0प0 व क्षे0 पं0 दोनों में	उप जिला मजिस्ट्रेट अपील जिला मजिस्ट्रेट

अभिलेख आदि देने में चूक–कारावास या जुर्माना या दोनों
भू राजस्व के बकाये की भाँति वसूली का आदेश (DM) द्वारा
पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध

शपथ (Oath)

	शपथ हेतु विहित प्राधिकारी
क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत प्रमुख
क्षेत्र पंचायत उप प्रमुख	क्षेत्र पंचायत प्रमुख
क्षेत्र पंचायत प्रमुख	जिला स्तरीय अधिकारी /उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM)

क्षेत्र पंचायत की संरचना एवं उसका निगमन धारा 50

- क्षेत्र पंचायत सदस्य (प्रमुख + ज्येष्ठ उप प्रमुख + कनिष्ठ उप प्रमुख)
- खण्ड में स्थित ग्राम पंचायतों के प्रधान
- राज्य विधान सभा : लोक सभा सदस्य
- राज्य सभा के सदस्य जो खण्ड के भीत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हो

अविश्वास के अतिरिक्त सभी कार्यवाहियों में मत देने हेतु प्राधिकृत

विशेष आमंत्रित सदस्य – उस क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत जिला पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत की बैठकें (Meetings)

अध्यक्षता, क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा– त्रैमासिक बैठक

1/5 सदस्यों के लिखित आवेदन पर

गणपूर्ति – कुल सदस्यों का 1/3 (II) 1/3 (III) 1/5

क्षेत्र पंचायत के पदाधिकारी, अधिकारी / कर्मचारी लोक सेवक (Public Servant) के रूप में

क्षेत्र पंचायत धारा – 69 (प्रमुख + ज्येष्ठ / कनिष्ठ उप प्रमुख + अधिकारी / कर्मचारी)
भारतीय दण्ड संहिता, (IPC)1860 के अर्थ में लोक सेवक
धारा 161 के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द सरकार में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत भी सम्मिलित

public servant writ.pdf

क्षेत्र पंचायत के सामान्य कृत्य

धारा 67. क्षेत्र पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य –

1. इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में तथा पंचायत से प्राप्त योजनाओं को संकलित करते हुए विकास योजनाओं की वार्षिक योजना तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
2. ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना व आय–व्ययक स्वीकृत करना।
3. क्षेत्र पंचायत का आय– व्यय तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
4. ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनका मार्ग दर्शन करना।
5. प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना, और
6. राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा प्रतिनिहित या सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन व शक्तियों को प्रयोग करना।

धारा 68. क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना :–

- खण्ड की ग्राम पंचायतों की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए – योजना एवं विकास समिति की सहायता से सचिव समेकित योजना तैयार करेगा एवं क्षेत्र पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- क्षेत्र पंचायत परिष्कार या बिना परिष्कार से अनुमोदित योजना सचिव के माध्यम से जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी।

क्षेत्र पंचायत में समितियाँ

प्रत्येक पंचायत में निम्न समितियाँ गठित की जायेंगी

1. नियोजन एवं विकास समिति
2. शिक्षा समिति
3. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
4. निर्माण कार्य समिति
5. प्रशासनिक समिति
6. जल प्रबन्धन एवं जैव विविधता प्रबन्धन समिति

(ख) उप समितियाँ –

1. समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक या एक से अधिक उप–समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।
2. उप समिति का संघटन तथा कार्यकाल ऐसे होंगे जैसा समिति द्वारा नियत किये जाएं।
3. यदि समिति उप–समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।

145. समितियों के अधिकार व कृत्य–

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में स्थापित समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

(1) **नियोजन एवं विकास समिति –** निम्न विषयों से संबंधित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी :–

(क) सम्बन्धित पंचायत के वित्तीय विषयों पर दृष्टि रखना व आय के स्रोतों का सृजन।

(ख) सम्बन्धित पंचायत के लिये वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

(ग) सम्बन्धित पंचायत का आय–व्यय तैयार कर स्वीकृति हेतु रखना।

(घ) कृषि, पशुधन और गरीबी उपशमन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(ड़) ग्रामीण मेलों एवं उत्सवों से संबंधित विषय।

(2) **शिक्षा समिति –** निम्न विषयों से सबंधित कार्यों का सम्पादन व अधिकारो का प्रयोग कर सकेगी :–

(क) प्राथमिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता सम्बन्धी कार्य।

(ख) स्कूल भवनों के लिये भूमि का चयन तथा स्कूल भवनों के निर्माण/मरम्मत की गुणवत्ता की देख–रेख करना।

(ग) संविधान की 11 वीं अनुसूची के क्रमांक 17(शिक्षा–प्राथमिक एवं माध्यमिक), 18 (तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण), 19(प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा), 20 (पुस्तकालय) एवं 21 (सांस्कृतिक क्रियाकलाप) से सम्बन्धित विषय।

(3) **निर्माण कार्य समिति –** निम्न विषयों से संबंधित कार्यो का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी :–

(क) सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करना।

(ख) सम्बन्धित पंचायत के अन्तर्गत समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(ग) अनिवार्य श्रमदान के सम्बन्ध में।

(4) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति :– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी :–

(क) संविधान की 11वीं अनुसूची के क्रमांक 23 (स्वास्थ्य एवं स्वच्छता), 24 (परिवार कल्याण), 25 (महिला एवं बाल विकास), 26 (समाज कल्याण– विकलांग एवं मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण सहित) एवं 27 (दुर्बल व्यक्तियों विशेषतया अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण) से संबंधित विषय।

(ख) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों विशिष्टतः महिला एवं बाल कल्याण, आँगनवाड़ी, पी.एच.सी./सी.एच.सी. से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन।

(5) प्रशासनिक समिति :– निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी :–

(क) सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित सभी मामले।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विषय।

(6) जल प्रबन्धन एवं जैव विविधता प्रबन्ध समिति :– निम्न विषयों से संबंधित कार्यो का सम्पादन व अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी :–

(क) नलकूपों और पेयजल योजनाओं का समुचित संचालन और अनुरक्षण,

(ख) आबादी क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के उपाय,

(ग) भूमि के विभिन्न प्रकारों, परम्परागत किस्मों एवं खेती का संरक्षण। पशुओं एवं सूक्ष्मजीवों का भण्डारण तथा जैव विविधता से संबंधित विषयों की जानकारी।

धारा 71 – क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अधिकार एवं कर्तव्य

क्षेत्र पंचायत तथा अन्य समितियों जिनका क्षेत्र पंचायत प्रमुख को अध्यक्ष नियत किया गया है की बैठकें आहूत करना तथा उनकी अध्यक्षता
विनियमित नियमों द्वारा क्षेत्र पंचायतों का नियंत्रण
ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यो का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण
अन्य ऐसे कर्तव्य जो सौपे गये।

धारा 75 – क्षेत्र पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी
धारा 77 – क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण –

(1) प्रमुख क्षेत्र पंचायत का खण्ड विकास अधिकारी / सचिव पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।
(2) क्षेत्र पंचायत में नियोजित क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा कर्मचारी, खण्ड विकास अधिकारी/सचिव के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
(3) क्षेत्र पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

127. सभी पंचायतें विशेष संकल्प द्वारा इस अधिनियम अन्तर्गत या राज्य सरकार के द्वारा इस के अधीन बनाए गये किसी विनियम से सुसंगत नियम सकती है।

129. (1) वन पंचायतें ग्राम पंचायत से सामंजस्य स्थापित कर स्वयं का कारोबार कर सकेंगी। (राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारोबार के लिये वन विभाग की सहमति से व्यवस्था बनायी जा सकेगी)

(3) ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के हस्तातरण कर सकेगी जैसा विहित किया जाय।

(4) पृथक–पृथक अनुसूचियाँ।

(6) जिला योजना समिति

राज्य वित्त आयोग धारा 158

राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु प्रत्येक पॉच वर्ष में गठित

कार्य :–

(1) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण।

(2) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे।

(3) राज्य की संचित निधि, मे से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान।

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय।

(ग) कोई अन्य विषय से राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

क्षेत्र पंचायत की निधियाँ, सम्पत्ति, संविदाऐं, बजट, कर एवं सम्परीक्षा

क्षेत्र निधि – (केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अनुदान, कराधान से प्राप्त राशि एवं अन्य प्राप्तियाँ)

धारा 81 क्षेत्र पंचायत में निहित सम्पत्ति – ऐसी सम्पत्ति जो कि क्षेत्र निधि से निर्मित या अनुरक्षित की गयी हो। ऐसी भूमि अन्य सम्पत्ति जो सरकार द्वारा दान अथवा विक्रय द्वारा पंचायतों को संक्रमित की गयी हो।

धारा 82 **क्षेत्र पंचायत का बजट –** नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से सचिव द्वारा,
7 दिन के भीतर जिला पंचायत को प्रेषित
जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति
पुनरीक्षण संशोधन (मानने की बाध्यता नहीं)

धारा 83 क्षेत्र पंचायत के लेखों की सम्परीक्षा

धारा 84 क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण– कोई क्षेत्र पंचायत, ऐसी रीति से जैसे नियत की जाए, निम्नलिखित कर आरोपण कर सकेगी –

(क) जलकर, जहां वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिंचाई के लिए या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षा करती है,

(ख) विद्युत जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है, और

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिनके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

अभिलेख

ग्राम पंचायत – प्रधान की अभिरक्षा –रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (सचिव) उत्तरदायी
प्रधान को आवेदन करने पर स्वहस्ताक्षरित प्रति ग्राम पंचायत की मोहर सहित

क्षेत्र पंचायत धारा – क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में खण्ड विकास अधिकारी (सचिव) की अभिरक्षा में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय –सचिव

जिला पंचायत – अपर मुख्य अधिकारी (सचिव)

त्याग पत्र (Resignation)

ग्राम पंचायत धारा 15, क्षेत्र पंचायत धारा 60, जिला पंचायत धारा 93

क्र0 सं0	पदनाम	विहित प्राधिकारी
1	ग्राम पंचायत सदस्य	जिला पंचायत प्राधिकारी
2	उप प्रधान	
3	प्रधान	
4	क्षे. पं. सदस्य	जिला मजिस्ट्रेट
5	क्षे. पं. ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उपप्रमुख	
6	क्षे. पं. प्रमुख	
7	जिला पंचायत सदस्य	जिला पंचायत अध्यक्ष
8	जिला पंचायत उपाध्यक्ष	निदेशक पंचायतीराज
9	जिला पंचायत अध्यक्ष	

आन्तरिक एवं वाह्य नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण – खुली बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक, सामाजिक आडिट एवं अविश्वास प्रस्ताव

अविश्वास प्रस्ताव –

पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर नहीं, पदावधि समाप्ति पूर्व 6 माह की कालावधि में नहीं, अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृति के एक वर्ष तक नहीं

प्रधान	क्षेत्र पंचायत – प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख (धारा –63)	जिला पंचायत – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष धारा (100)
ग्राम सभा के 1/4 +1 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस	तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस	जिलाधिकारी को
हस्ताक्षर करने वाले न्यूनतम 05 सदस्यों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को	न्यूनतम तीन सदस्यों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को	
DPRO द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण, 15 दिन पूर्व सूचना विशेष बैठक हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया 30 दिन के भीतर	CDO द्वारा क्षेत्र पंचायत की विशेष बैठक 30 दिन के भीतर 15 दिन पूर्व सूचना	
पीठासीन अधिकारी ADO (P) से अन्यून स्तर	पीठासीन अधिकारी CDO द्वारा नियुक्त – SDM या जिलास्तरीय अधिकारी	अध्यक्षता जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिनिधायन भी सम्भव (Civil Judge) से अन्यून को

प्रधान	प्रमुख (धारा –63)	अध्यक्ष धारा (100)
बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों पर 1/2 गणपूर्ति न होने पर अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं	बैठक के लिये निर्धारित समय से आधे घण्टे पूर्व तक पीठासीन अधिकारी उपस्थित न हो या असमर्थ हो तो कारण अभिलिखित करते हुए सूचित करेगा और आगामी 25 दिन के भीतर बैठक आयोजित की जायेगी	
	बैठक की सूचना आयोजन से कम से कम 10 दिन पूर्व सदस्यों को CDO द्वारा	
2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित	पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव पढ़कर सूनाएगा–वाद विवाद अधिकतम 2 घण्टे तक–मतदान (गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा)–तत्कालीन निर्वाचित 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित	
	मतदान पश्चात अविश्वास प्रस्ताव की प्रति + कार्यवृत्त + परिणाम → राज्य सरकार एवं जिलाधिकारी को प्रेषित	राज्य सरकार, मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट
	क्षेत्र पंचायत के सूचना पट पर नोटिस चस्पा कर प्रकाशन – उक्त तिथि से पदरिक्त	

वाह्य नियंत्रण

- 138 f.pdf
- विहित प्राधिकारी –

  प्रधान, उप प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य हेतु – जिलाधिकारी

  क्षेत्र पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य हेतु – निदेशक पंचायतीराज

  जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु – राज्य सरकार

141. कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जाँच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति –

किसी अमीन, आदेशिका वाहक, टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम के चौकीदार पटवारी, सिंचाई विभाग के पतरौल तथा नलकूप–चालक, वन रक्षक, वन विभाग के चौकीदार, प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक, कांजी –हाउस रक्षक, ग्राम में कार्यरत पशुपालन विभाग के कर्मचारी अथवा ग्राम की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी, आँगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा कार्यकर्ती अथवा सरकारी विभाग के चपरासी आदि द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन के आचरण, कर्तव्यविमुखता के संबंध में ग्राम पंचायत की आधिकारिता में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त होने पर ऐसी ग्राम पंचायत यदि प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित प्राधिकारी को भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी अग्रेतर जाँच करने के उपरान्त, जो अपेक्षित हो समुचित कार्यवाही करेगा और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना देगा।

142. पंचायत के समानान्तर संस्थाओं के गठन का निषेध।

- 155 ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उनके अधिकारियों और सेवकों के विरूद्ध सिविल वाद।

155-.pdf

- 157 पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के संबंध में पुलिस की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।
- 161 दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य करने हेतु संयुक्त समिति।

धन्यवाद